[2018] 10 एस. सी. आर. 1098

जे. एस. लूथरा अकादमी और अन्य

वी.

जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं। 7184-7185 2013 का)

30 अक्टूबर, 2018

[एन. वी. रमना और मोहन एम. शांतनागौदर, जे. जे.]

प्राकृतिक संसाधन आबंटनः

वक्फ संपत्ति से संस्थान को स्थानांतरित करने के लिए राज्य द्वारा शैक्षणिक संस्थान को भूमि का आवंटन, आदेश के अनुसार

वक्फ प्राधिकरण द्वारा परिसर को खाली करने के लिए-आवंटित 4 कनाल भूमि में से राज्य ने संस्थान से केवल 2 कनाल के लिए शुल्क लिया

@ रु. 8,00,000 / - जबकि 2 कनाल मुफ्त आवंटित किए गए थे, आवंटन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं, इस आधार पर कि संपत्ति को नीलामी में नहीं रखा गया था-एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आवंटन को रद्द कर दिया-अपील पर, कहाः जब राज्य द्वारा भूमि का हस्तांतरण किया जाता है, तो आवंटन को कला के अनुसार सामान्य भलाई पर विचार करके निर्देशित किया जाना चाहिए। 39 (ख) और कला का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 14 - यह

इसमें आवश्यक रूप से संसाधनों की नीलामी शामिल नहीं है-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि भूमि का आवंटन सैकड़ों बच्चों की शिक्षा में जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया था। मामले की परिस्थितियों में नीलामी की मानक प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता थी, ताकि संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य प्रतिकूल न हो-इसके अलावा, आवंटन वक्फ भूमि के आदान-प्रदान की प्रकृति का था-भूमि का आवंटन करने में राज्य की कार्रवाई मनमानेपन से ग्रस्त नहीं है क्योंकि यह एक कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित है-राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष, उचित, पारदर्शी, निष्पक्ष, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के बिना थी-हालांकि, 2 कनाल मुफ्त आवंटित करने में राज्य की कार्रवाई खराब थी। शैक्षणिक उद्देश्य-आबंटन/हस्तांतरण (भूमि आबंटित लागत शुल्क) को हस्तांतरणकर्ता को एक अवसर देकर बचाया जा सकता है।

रुपये में दो कनाल का भुगतान करके विचार में कमी को पूरा करें। 8,00,000 / - आबंटन की तारीख से भुगतान की तारीख-भारत का संविधान-कला तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ प्रति कनाल। 14 और 39 (बी)-नीलामी। – टेंडर करें।

1098 जे. एस. लूथरा अकादमी बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य

भारत का संविधानः

कला. 14 – आयोजित परीक्षण के तहत मनमानेपनः एक कार्यकारी कार्रवाई मनमाना नहीं होगी क्योंकि कार्रवाई नहीं है

स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसे किसी विशेष कारण से लिया गया है या किसी विशेष सिद्धांत के आधार पर लिया गया है जो अपने आप में उचित है-न्यायालय के लिए यह देखने के लिए खुला है कि क्या ऐसा उचित सिद्धांत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है।

कलाएँ। 38 और 39 के तहत अधिकार-आयोजितः अधिकार यू/आर्ट्स। 38 और 39 में आजीविका, स्वास्थ्य और सामान्य कुएँ के साधन शामिल हैं।

समाज में लोगों के सभी वर्गों का होना, जिसमें से शिक्षा

एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नीलामी/निविदाः

सार्वजनिक नीलामी या निविदा जारी करने की आवश्यकता -

राज्य द्वारा भूमि का आवंटन/हस्तांतरण-आयोजितः आम तौर पर राज्य को इसके हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक नीलामी या निविदाओं का सहारा लेना चाहिए। भूमि-तथापि, निविदा जारी न करना या सार्वजनिक नीलामी का संचालन न करना सभी मामलों में कार्यकारी शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं माना जा सकता है, यदि कार्यपालिका का निर्णय एक निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम है-भारत का संविधान-अनुच्छेद। 14 .

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 आम तौर पर, जब किसी भी भूमि को राज्य द्वारा हस्तांतरित करने का इरादा होता है, या किसी भी राज्य अनुदान को प्रदान किया जाना होता है, तो लोगों से निविदाएं आमंत्रित करके सार्वजनिक नीलामी या हस्तांतरण के लिए रिसॉर्ट होना चाहिए। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे आवंटित संसाधन के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले। हालांकि, निविदा जारी न करना या सार्वजनिक नीलामी का संचालन न करना सभी मामलों में कार्यकारी शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं माना जाएगा। कार्यपालिका का अंतिम निर्णय परिणाम होना चाहिए।

एक निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया। आबंटन अनुच्छेद 39 (बी) के अनुसार आम अच्छे पर विचार करके निर्देशित किया जाना चाहिए। और यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें आवश्यक रूप से संसाधन की नीलामी शामिल नहीं है; हालाँकि, प्राकृतिक (2018) 10 एस. सी. आर. का आवंटन।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निजी व्यक्तियों को केवल वाणिज्यिक दोहन के लिए संसाधन

निजी लाभ के लिए, जिसका कोई सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य नहीं है, उच्च न्यायिक जांच को आकर्षित करता है और यदि गैर-प्रतिस्पर्धी और गैर-राजस्व अधिकतम साधनों द्वारा किया जाता है तो इसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जा सकता है। [पैरा 6] [1111-जी-एच; 1112-ए-सी]

विधि संस्थान चंडीगढ़ बनाम। नीरज शर्मा (2015)

1 एससीसी 720: [2014] 11 एससीआर 1096; सेंटर फॉर पब्लिक

ब्याज मुकदमा v. भारत संघ, 2012 3 एस. सी. सी 1:

[2012] 3 एस. सी. आर. 147; प्राकृतिक संसाधन आवंटन में

शर्मा बनाम। प्रधान सचिव। (2014) 9 एससीसी 516: [2014] 8 एससीआर 446; भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2015)

12 एससीसी 1: [2015] 5 एस. सी. आर. 867; गोवा फाउंडेशन बनाम

सेसा स्टरलाइट लिमिटेड (2018) 4 एससीसी 218 2018 (2)

एस. सी. आर. 361; नेताजी बैग और अन्य। वी. डब्ल्यू. बी. और ओ. आर. एस. की स्थिति

(2000) 8 एससीसी 262: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 187; 5 एम एंड टी सलाहकार v. एस. वाई. नवाब (2003) 8 एस. सी. सी. 100 [2003]

4 पूरक। एस. सी. आर. 187; विलियनूर इयार्काई पडुकप्पु

मैयम वी। भारत संघ (2009) 7 एससीसी 561: [2009] 9

एस. सी. आर. 225; अजार एंटरप्राइजेज (पी) लिमिटेड बनाम। सत्यनारायन

सोमानी (2018) 12 एस. सी. सी. 756; गोवा फाउंडेशन बनाम। सेसा

स्टरलाइट लिमिटेड (2018) 4 एस. सी. सी. 218: [2018] 2 एससीआर 361 -

-

पर भरोसा किया।

1.2 एक कार्यकारी कार्रवाई केवल मनमाना नहीं होगी।

क्योंकि कार्रवाई स्पष्ट रूप से किसी विशेष कारण से या किसी विशेष सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है जो अपने आप में उचित है; बल्कि, न्यायालय के लिए यह देखने के लिए खुला होगा कि क्या ऐसा उचित सिद्धांत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है। जिस तरह न्यायालय के पास यह निर्धारित करने के लिए एक कार्यकारी कार्रवाई के अंतर्निहित उद्देश्य को देखने की शक्ति है कि क्या यह मनमानेपन के लिए जांच करते समय बाहरी कारणों से प्रेरित है, उसी तरह न्यायालय यह भी निर्धारित कर सकता है कि कार्रवाई के निष्पादन के माध्यम से कोई व्यापक उद्देश्य पूरा किया जा रहा है या नहीं, आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करके जिसमें कार्यकारी कार्रवाई की गई थी। [पैरा 7] [1113-सी-ई] जे. एस. लूथरा अकादमी बनाम।

श्रीलेखा विद्यारथी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1991) 1 एससीसी 212: [1990] 1 पूरक। एस. सी. आर. 625-निर्भर

1.3 हालाँकि अपीलकर्ता एक निजी शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार की कार्रवाई केवल एक कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित नहीं थी क्योंकि अकादमी और राज्य सरकार के बीच पत्राचार में इतने शब्दों में यह नहीं कहा गया है कि आवंटन के लिए मांगी गई वैकल्पिक भूमि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हितों की रक्षा के लिए थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी को वक्फ भूमि से किसी जानबूझकर चूक या अनधिकृत उपयोग के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बेदखल किया गया था क्योंकि वक्फ को अपने उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में, कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण, अपीलार्थी ने उपयुक्त आवंटन के लिए सरकार से संपर्क किया। स्कूल चलाने के लिए जमीन। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने छात्रों की शिक्षा और इलाके में शांति को बाधित किए बिना वक्फ संपत्ति से स्कूल को जल्द से जल्द खाली कराने के मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करना पसंद किया। [पैरा 7] [1113-ई-एच]

1.4 संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में प्रावधान है कि राज्य को राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए।

राज्य अपने सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है। इन अधिकारों में आजीविका, स्वास्थ्य और समाज के सभी वर्गों के लोगों के सामान्य कल्याण के साधन शामिल हो सकते हैं, जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। [पैरा 8] [1114-ए-बी] 1.5 बुनियादी शिक्षा प्रदान करना राज्य के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाली समितियों पर एक संवैधानिक दायित्व है। शिक्षा व्यक्तियों के लिए आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने का एक बुनियादी साधन है और सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। भारत का संविधान शिक्षा के क्षेत्र पर काफी ध्यान देता है। यह शिक्षा की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है और न केवल शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की आवश्यकता को स्वीकार करता है, बल्कि निजी समितियों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। [पैरा 9] [1114-बी-डी] [2018] 10 एस. सी. आर.

सचिव, महात्मा गांधी मिशन बनाम। भारतीय कामगर सेना, (2017) 4 एस. सी. सी. 449-संदर्भित।

1.6 इस प्रकार, राज्य सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के पक्ष में भूमि आवंटित करने के लिए आगे बढ़े।

सैकड़ों बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ मामले की तात्कालिकता पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित नहीं थी। अनुच्छेद 14 के परीक्षण को मूल के बजाय मूल के दृष्टिकोण से लागू किया जाना चाहिए।

औपचारिक समानता, और उस कार्रवाई या नियम के प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए जिसका परीक्षण किया जा रहा है। जबकि सामान्य परिस्थितियों में, के आधार पर स्थलों के आवंटन की सामान्य प्रथा

विज्ञापन या नीलामी का पालन किया जा रहा था, उस क्षण

इस स्थिति में अध्ययन करने वाले बच्चों के भविष्य के प्रति पूर्वाग्रह को रोकने के लिए मानक प्रक्रिया से विचलन की आवश्यकता होती है। अकादमी। इस मामले को समग्र रूप से देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से कोई नुकसान नहीं हुआ।

मनमानी जहाँ तक कि यह एक कल्याणकारी उद्देश्य द्वारा समर्थित थी। [पैरा

9] [1114 - ई-एफ]

1.7 अपीलार्थी को 4 कनाल भूमि का आवंटन किया गया था

एक विनिमय की प्रकृति में, क्योंकि राज्य सरकार अपीलार्थी को बेदखल करना चाहती थी जो मुख्य शहर क्षेत्र में स्थित वक्फ भूमि पर एक स्कूल चला रहा था। ऐसा लगता है कि इस तरह का निर्णय राज्य सरकार ने इलाके या शहर में किसी भी अशांति से बचने के लिए लिया है। ऐसी परिस्थितियों में, 4 कनाल संपत्ति आवंटित करने में राज्य द्वारा लिए गए निर्णय में कोई मनमानी नहीं है।

दूसरी ओर, राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष, उचित, पारदर्शी, निष्पक्ष, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के बिना थी। [पैरा 10] [1114-जी-एच; 1115-ए]

2.1 अधिकारियों की कार्रवाई पर इस हद तक हमला किया जा सकता है कि मुफ्त में दो कनालों का आवंटन कानूनी रूप से गलत था। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल था केवल दो कनाल और शेष दो कनाल भूमि के संबंध में अपीलार्थी को मुफ्त में आवंटित किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि रु। 8,00,000 / - प्रति कनाल औसत नीलामी बिक्री मूल्य था जो आवंटन के समय के आसपास प्राप्त किया गया था। इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आवंटन मूल्य निर्धारित किया

रु. 8,00,000 / - कनाल के अनुसार। यह स्पष्ट है कि रुपये की कीमत तय करने में कोई मनमानी नहीं थी। 8,00,000 / - कनाल के अनुसार।

हालांकि, जे. एस. लूथरा अकादमी बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य मुफ्त में 2 कनाल भूमि का आवंटन उचित नहीं था। यह रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव के आलोक में और भी महत्वपूर्ण है जो यह दर्शाता है कि स्कूल विशुद्ध रूप से धर्मार्थ और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए चलाया जा रहा था। [पैरा 12] [1115-ई-जी]

रे में। प्राकृतिक संसाधन आवंटन (2012) 10 एस. सी. सी. 1: [2012] 9 एस. सी. आर. 31; भारत संघ और एक अन्य v. जैन सभा, नई दिल्ली और दूसरा (1997) 1 एस. सी. सी. 164: [1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 1-पर निर्भर।

2.2 इस प्रकार, आवंटन की तारीख तक दो कनालों के लिए सरकारी खजाने को Rs.16,00,000/- तक का नुकसान होता है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता-अकादमी कई वर्षों से आवंटित स्थल पर चल रही है, एक नए भवन का निर्माण, हस्तांतरणकर्ता को विचार में कमी को पूरा करने का अवसर देकर हस्तांतरण को बचाया जा सकता है। [पैरा 13] [1116-जी]

आईटीसी लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 7 एस. सी. सी. 493: [2011] 7 एससीआर 66-पर निर्भर।

2.3 अपीलार्थी को विचार में कमी को पूरा करने का अवसर देना उचित है, क्योंकि

यह नहीं कहा जा सकता है कि मुफ्त आवंटन के कारण सरकारी खजाने का जनहित पर स्थायी प्रभाव पड़ा है या प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा, अपीलार्थी की ओर से उसके पक्ष में आवंटन की मांग करने में कोई कोताही नहीं है, क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया है। यह इस सिद्धांत के अनुरूप भी होगा कि राज्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए जनता को पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए। [पैरा 14] [1118-बी-सी]

2.4 इसलिए, अपीलार्थी को मुफ्त में प्राप्त दो कनाल भूमि के लिए निम्नलिखित दर से भुगतान करना चाहिए: रु. 8,00,000 / - प्रति कनाल, जो आवंटन के समय प्रचलित औसत नीलामी मूल्य था। अपीलार्थी आवंटन की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। [पैरा 15] [1118-डी-ई]

मामला कानून संदर्भ

[2014] 11 एससीआर 1096

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

[2012] 3 एससीआर 147

उस पर भरोसा करें

[2012] 9 एससीआर 31

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6,11

[2014] 8 एससीआर 446

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[2015] 5 एससीआर 867

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[2018] 2 एससीआर 361

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[2003] 4 पूरक। एससीआर 187

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[2003] 4 पूरक। एससीआर 187

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[2009] 9 एससीआर 225

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

(2018) 12 एस. सी. सी. 756

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6

[1990] 1 पूरक। एससीआर 625

उस पर भरोसा करें

पै

रा 7

(2017) 4 एस. सी. सी. 449

पै

रा 9

संदर्भित किया गया है

[1996] 9 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2011] 7 एससीआर 66

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

7184-7185 2013 का

उच्च न्यायालय के 01.04.2009 दिनांकित निर्णय और आदेश से

एल. पी. ए. (ओ. डब्ल्यू.) सं. में जम्मू और कश्मीर का न्यायालय। 38 और 2008 का 39.

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , बिमल रॉय जाड, सुश्री श्रेया हांडू, अधिवक्ता।

अपीलार्थियों के लिए।

एम. शोएब आलम, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, जे. 1. का फैसला

एल. पी. ए. में जम्मू में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंड पीठ। (OW) सं. 38/2008 और एल. पी. ए. (ओ. डब्ल्यू.) सं. 39/2008 दिनांकित 01.04.2009 इन अपीलों का विषय है।

2. इन अपीलों की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी

जे. एस. लूथरा अकादमी (इसके बाद 'अकादमी' के रूप में संदर्भित), एक शैक्षणिक संस्थान, शुरू में जम्मू में एक वक्फ संपत्ति पर स्थित था। जम्मू-कश्मीर वक्फ अधिनियम, 1978 के तहत गठित प्राधिकरण के दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, उक्त शैक्षणिक संस्थान को वक्फ संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ, अकादमी ने जे. एस. लूथरा अकादमी बनाम से संपर्क किया।

जम्मू और कश्मीर राज्य [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

जम्मू और कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण, और बेदखली पर रोक का एक अंतरिम आदेश न्यायाधिकरण द्वारा 09.01.1996 पर दिया गया था। इस दौरान

इस बीच, अकादमी ने राज्य सरकार से स्कूल को स्थानांतरित करने और चलाने के लिए अभ्यावेदन में उल्लिखित किसी भी स्थान पर भूमि के एक टुकड़े के आवंटन का अनुरोध किया। संबंधित

मंत्री ने दिनांक 1 की बैठक में अकादमी के पक्ष में भूमि के आवंटन के प्रश्न पर विचार किया। इसके बाद, एक नोट था

अपीलार्थी को रुपये के आवंटन के लिए विचार किया गया। 8,00,000 / - कनाल के अनुसार। औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आई. डी. 1 पर एक बाद की बैठक में चन्नी हिम्मत के सेक्टर 2 में अकादमी को चार कनाल रुपये में आवंटित किए गए। 8,00,000 / - प्रति कनाल 40 वर्षों के लिए पट्टे पर और अकादमी को उक्त राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था, शेष राशि बाद में जमा की जाएगी। दिनांक 1 की एक बैठक में, मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसरण में जम्मू-कश्मीर आवास बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि अकादमी को 2 करोड़ रुपये की दर से दो कनाल भूमि आवंटित की जाएगी। 8,00,000 / - प्रति कनाल और अन्य दो कनाल मुफ्त। इसके अलावा, आई. डी. 1 की एक कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जम्मू विकास प्राधिकरण को प्राधिकरण को वैकल्पिक भूमि के आवंटन के रूप में भूमि के मुफ्त आवंटन के लिए मुआवजा दिया जाना था। अकादमी को भूमि के आवंटन को प्राचार्य द्वारा मंजूरी दी गई थी सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार, दिनांकित 24.8.2000 पत्र के माध्यम से। अकादमी ने अंततः कुल रु। 16,00,000 / - दो कनाल भूमि के लिए

और दो और कनाल मुफ्त में प्राप्त किए। एक पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था, और कब्जा 12.12.2001 पर सौंप दिया गया था। अकादमी उस पर विद्यालय भवन का निर्माण किया गया और वक्फ संपत्ति से स्थानांतरित होकर इस परिसर में विद्यालय चलाया जा रहा है।

3. चन्नी हिम्मत के निवासियों ने 2002 की रिट याचिका संख्या 1093 के माध्यम से अकादमी के पक्ष में किए गए आवंटन पर सवाल उठाया, इस आधार पर कि भूमि का टुकड़ा खेल के मैदान के लिए था, लेकिन यह चन्नी हिम्मत हाउसिंग कॉलोनी की मूल योजना और योजना का उल्लंघन करते हुए अकादमी को आवंटित किया गया था। चन्नी हिम्मत में स्थित यूनाइटेड पब्लिक स्कूल के मालिक श्री नरेश कुमार ने ओ. डब्ल्यू. पी. नं. <आई. डी. 1 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अकादमी के पक्ष में किए गए आवंटन पर इस आधार पर सवाल उठाया गया कि संपत्ति की नीलामी सरकार द्वारा की जानी चाहिए थी, ताकि वह [2018] 10 एस. सी. आर. के लिए भी आवेदन कर सकें।

प्लॉट के आवंटन के लिए, जिसकी उन्हें अपने स्कूल को उच्च माध्यमिक स्तर तक उन्नत करने के लिए आवश्यकता थी। दोनों रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक साथ जोड़ा गया, सुना गया और निर्णय लिया गया।

न्यायालय में पेश किया गया और खारिज कर दिया गया। हालाँकि, खंड पीठ ने विवादित निर्णय द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को दरकिनार कर दिया और रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और परिणामस्वरूप निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ अकादमी के पक्ष में किए गए आवंटन को रद्द कर दियाः

" बोर्ड को समान नियमों और शर्तों पर भूमि को पट्टे पर देने के उद्देश्य से सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने का निर्देश दिया गया है।

रु. से। 16.00 उनसे लाखों। यदि नीलामी में बोली का मूल्य न्यूनतम आरक्षित बोली मूल्य से अधिक है और यह निजी प्रत्यर्थी द्वारा नहीं दिया जाता है, बोर्ड निजी प्रत्यर्थी को इसे पूरा करने का अवसर देगा और यदि वह इसे पूरा करता है, तो ऐसी बोली की राशि स्वीकार करने पर निजी प्रत्यर्थी के पक्ष में पट्टे को निष्पादित करने के लिए, ऊपर बताए गए तरीके से निर्धारित निर्माण की लागत को प्रीमियम के रूप में कम करेगा। यदि निजी प्रत्यर्थी बोली मूल्य का मिलान करने में विफल रहता है, तो बोर्ड उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में पट्टा प्रदान करेगा और इस तरह प्राप्त होने वाली राशि में से पहले ऊपर बताए गए तरीके से निर्धारित निर्माण लागत का भुगतान निजी को करेगा।

उत्तरदाता "।

4. यहाँ प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थियों, अर्थात मूल रिट याचिकाकर्ता जो विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के समक्ष थे, ने नोटिस की सेवा के बावजूद इस न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना है। अकादमी, राज्य और आवास बोर्ड के विद्वान सलाहकार को सुना। अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से हमें ले जाने वाले अकादमी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि साइट का आवंटन जे. एस. लूथरा अकादमी बनाम।

जम्मू और कश्मीर राज्य [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया था। अकादमी को वक्फ संपत्ति को खाली करने के लिए कहा गया था, जहां वह पहले स्कूल चला रही थी, क्योंकि वक्फ अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए संपत्ति चाहता था। चूंकि विद्यालय सैकड़ों छात्रों की जरूरतों को पूरा कर रहा था और इसे सफलतापूर्वक चलाया जा रहा था, इसलिए अकादमी की प्रबंध समिति अकादमी को बंद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि बंद होने से छात्रों के हितों को नुकसान होता। आबंटन के लिए सक्षम होने के कारण मंत्रिमंडल

भूमि ने इस मामले पर विधिवत विचार किया था और अपीलार्थी की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए उसे भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया था।

छात्रों और मामले की तात्कालिकता क्योंकि स्कूल को जल्द से जल्द स्थानांतरित करना पड़ा। अकादमी, राज्य और आवास बोर्ड के तर्क का सार और सार यह है कि आवंटन बड़े पैमाने पर जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया था और अकादमी चलाने में शामिल किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत हित को कोई महत्व नहीं दिया गया था। 5. जम्मू और कश्मीर राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को मुफ्त में 2 कनाल भूमि का आवंटन सरकार का एक नीतिगत निर्णय था क्योंकि इस तरह का आवंटन अपीलार्थी को बेदखल करने के लिए एक विनिमय की प्रकृति में था, जो मुख्य शहर क्षेत्र में वक्फ भूमि पर एक स्कूल चला रहा था। इसका उद्देश्य दो गुना था, पहला, विद्यालय/सार्वजनिक उद्देश्य की निरंतरता सुनिश्चित करना, और दूसरा, अपीलार्थी को वक्फ भूमि से शीघ्रता से बेदखल करना और परिणामस्वरूप, ऐसी भूमि को लंबे समय तक मुकदमेबाजी से मुक्त करना। उन्होंने आगे कहा कि न तो संबंधित समय पर जम्मू और कश्मीर राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को भूमि के आवंटन के लिए किसी भी नीति का उल्लंघन किया गया था, और न ही राज्य को 2 कनाल भूमि (कुल 4 कनाल भूमि में से) का कोई नुकसान हुआ था जो अपीलार्थी को आवंटित की गई थी। मामले के ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, उन्होंने तर्क दिया कि विधि संस्थान के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

चंडीगढ़ बनाम। नीरज शर्मा, (2015) 1 एस. सी. सी. 720 जिसमें प्रतिस्पर्धी बोली आमंत्रित किए बिना किसी शैक्षणिक संस्थान को भूमि का आवंटन किया गया है।

रद्द किया गया था दो मामलों में अलग हैः

क) निर्णय के पैरा 32 में, विकास प्राधिकरण को लागू नीति, अर्थात शैक्षणिक संस्थानों (विद्यालयों) आदि को भूमि के आवंटन का पालन नहीं करते हुए पाया गया।

के आबंटन के लिए चंडीगढ़ योजना, 1996 में पट्टा धारण आधार

भूमि।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ख) निर्णय के पैरा 17 में यह अभिलिखित किया गया है कि लेखापरीक्षा

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन के विभाग ने पाया कि आवंटन से सरकारी खजाने को Rs.139 करोड़ का नुकसान हुआ।

अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवंटित भूमि इसके लिए निर्धारित की गई थी

मास्टर प्लान में स्कूल और खेल के मैदान और इसलिए, अपीलार्थी को भूमि के आवंटन में मास्टर प्लान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

6. यह न्यायालय सेंटर फॉर पब्लिक सहित कई मामलों में

ब्याज मुकदमा v. भारत संघ, 2012 3 एस. सी. सी. 1 (लोकप्रिय रूप से "2 जी मामले" के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक संसाधन आवंटन में, प्रति। विशेष संदर्भ सं. 1/2012, (2012) 10 SCC 1, मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव। , (2014) 9 एस. सी. सी. 516, भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम भारत संघ, (2015) 12 एस. सी. सी. 1, और गोवा फाउंडेशन बनाम। सेसा स्टरलाइट लिमिटेड, (2018) 4 एस. सी. सी. 218 ने राज्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। भारती एयरटेल लिमिटेड बनाम। भारत संघ, (2015) 12 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन v. में निर्धारित राज्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का सारांश दिया। भारत संघ, (2012) 3 एस. सी. सी. 1 ("2 जी मामला") इस प्रकार हैः

" 41. लाइसेंसर/भारत संघ को यह स्वतंत्रता नहीं है कि

उपरोक्त निकाले गए पैराग्राफ में संघ का अधिकार है - दो संवैधानिक सीमाओं से बंधी हुईः

सबसे पहले, कि प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए राज्य का कोई भी निर्णय

जो संसाधन लोगों के हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है और दूसरा, प्रक्रिया जिसके द्वारा ऐसी पहुंच प्रदान की जाती है वह न्यायसंगत, गैर-कानूनी होनी चाहिए।

मनमाना और पारदर्शी, निजी पक्षों की तुलना में

ऐसी पहुँच "।

(जोर दिया गया)

2 जी मामले में टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि राज्य समानता के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है

और सार्वजनिक विश्वास और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है जो सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो सकती है, और यह कि सार्वजनिक संपत्ति के निपटान के लिए हमेशा एक तर्कसंगत तरीका अपनाना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वितरण और अलगाव के लिए भेदभावपूर्ण तरीका अपनाया जाता है, जिसका परिणाम अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय/सार्वजनिक हित में होगा।

जे. एस. लूथरा अकादमी बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

प्राकृतिक संसाधन आवंटन में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निर्णय में राज्य द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर भी चर्चा की गई थी। 1 2012 का, (2012) 10 एस. सी. सी. 1. उसके पैरा 149 में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" 149. उपरोक्त उपदेशों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि नीलामी को एक साधन के रूप में एक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। संवैधानिक सिद्धांत। प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव एक नीतिगत निर्णय है, और इसके लिए अपनाए गए साधन इस प्रकार कार्यकारी विशेषाधिकार हैं। हालांकि, जब इस तरह का नीतिगत निर्णय किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित नहीं होता है, और बहुमूल्य और दुर्लभ प्राकृतिक होता है

लाभ के वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए संसाधनों को अलग किया जाता है।

निजी उद्यमियों को अधिकतम करना, प्रतिस्पर्धी साधनों के अलावा अन्य साधनों को अपनाना और राजस्व को अधिकतम करना मनमाना हो सकता है

और संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रकोप का सामना करें।

इस निर्णय ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम लक्ष्य सार्वजनिक भलाई का है, और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के सभी तरीके जो अंततः सार्वजनिक भलाई की सेवा करते हैं, वैध होंगे, जैसा कि निम्नलिखित टिप्पणियों में परिलक्षित होता हैः

" 120. ..... आर्थिक नीतियों के मामले में कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है अनुच्छेद 14 किसी भी आर्थिक नीति को संवैधानिक जनादेश के रूप में पूर्वनिर्धारित नहीं करता है। यहां तक कि अनुच्छेद 39 (बी) का अधिदेश भी सार्वजनिक भलाई के लिए अपनाए गए साधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है और व्यापक शब्द "वितरण" का उपयोग करता है, यह सुझाव देते हुए कि वितरण की कार्यप्रणाली निश्चित नहीं है। आर्थिक तर्क यह स्थापित करता है कि सबसे अधिक बोली लगाने वाले को प्राकृतिक संसाधनों का अलगाव/आवंटन आवश्यक रूप से आम भलाई को कम करने का एकमात्र तरीका नहीं हो सकता है, और कभी-कभी, सार्वजनिक भलाई के विपरीत हो सकता है। इसलिए, सभी प्राकृतिक पदार्थों के निपटान पर बहुत कम जोर देने की आवश्यकता है।

नीलामियों के माध्यम से संसाधन स्पष्ट रूप से संवैधानिक नहीं हैं

आदेश "।

इस मोड़ पर यह ध्यान रखना उपयोगी होगा कि इस निर्णय में, न्यायालय ने नेताजी बाग और अन्य सहित कई निर्णयों के माध्यम से विकसित कानून की स्थिति का आकलन किया। वी. डब्ल्यू. बी. और ओ. आर. एस. की स्थिति , (2000) 8 एस. सी. सी. 262,5 एम. एंड टी. सलाहकार बनाम एस. वाई. नवाब, (2003) 8 एस. सी. सी. 100, और विलियनूर इयार्काई पडुकप्पु मैयम बनाम। भारत संघ, (2009) 7 एस. सी. सी. 561, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निविदाएं जारी न करना या स्वयं नीलामी आयोजित करना यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि शक्ति का प्रयोग मनमाना था। नेताई [2018] 10 एस. सी. आर. से निम्नलिखित टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा।

ऊपर), जिन पर न्यायालय द्वारा भी प्राकृतिक रूप से भरोसा किया गया था

आर. एस. ई. एस. आबंटन, पुनः (ऊपर) इस बात को उजागर करने के लिए कि अंतिम परीक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया और अनुपालन की निष्पक्षता की टोपी हैसंविधान का अनुच्छेद 14:

" 19. ..... इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि आम तौर पर जब किसी राज्य की भूमि को हस्तांतरित करने का इरादा होता है या राज्य की उदारता प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, तो रिसॉर्ट को सार्वजनिक नीलामी के लिए या लोगों से निविदा आमंत्रित करके स्थानांतरित किया जाना चाहिए। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिदेश के अनुपालन की गारंटी देने का एक निश्चित तरीका होगा। गैर-तैरता हुआ

निविदाओं का आयोजन या सार्वजनिक नीलामी का आयोजन नहीं करना सभी मामलों में कार्यकारी शक्ति के प्रयोग का परिणाम नहीं माना जाएगा।

उचित कार्यवाही। संवैधानिक अदालतें नहीं हो सकतीं कथित अनियमितताओं, अवैधताओं का अनुमान लगाने की अपेक्षा या

असंवैधानिकता और न ही अदालतें राज्य कार्यपालिका की प्रामाणिक राय के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। अदालतें अंतिम निर्णय से संबंधित नहीं हैं, बल्कि केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया की निष्पक्षता से संबंधित हैं।

मनोहर लाल शर्मा में भी कबूतर के सिद्धांतों को दोहराया गया था। 0 , जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 110 पर टिप्पणी कीः

" प्राकृतिक संसाधनों के वितरण/निपटान के अन्य तरीकों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बोली के लाभों का मूल्यांकन करना न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि, अगर विषय कोयले का आवंटन

खंड संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ असंगत है और इस तरह के आवंटन में अपनाई गई प्रक्रिया अनुचित, अनुचित, भेदभावपूर्ण, गैर-पारदर्शी पाई गई है।

पक्षपातपूर्ण या पक्षपात या भाई-भतीजावाद से पीड़ित और संविधान के अनुच्छेद 14 के जनादेश का उल्लंघन, परिणाम इस तरह के असंवैधानिक या अवैध आवंटन का पालन किया जाना चाहिए।

उद्यम (पी) लिमिटेड बनाम सत्यनारायण सोमानी, (2018) 12 एस. सी. सी.

न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में उपरोक्त सिद्धांतों की पुष्टि की हैः

" 49. ..... जहाँ एक सार्वजनिक प्राधिकरण एक कार्यकारी का प्रयोग करता है

विशेषाधिकार, फिर भी इसे इस तरह से कार्य करना चाहिए जो

यह जनहित को कम करेगा और यू. टी. एच. आर. ए. ए. ए. सी. ए. डी. ई. एम. वाई. v. के वितरण को सुविधाजनक बनाएगा।

जम्मू और कश्मीर राज्य [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन इस तरह से जो जनता तक पहुंचे

अच्छा है। जहाँ एक सार्वजनिक प्राधिकरण एक नीति लागू करता है, जो है -

निकाय में सन्निहित एक संवैधानिक उद्देश्य द्वारा सक्रिय किया जाता है निर्देशक सिद्धांत, वे विचार जो इसके साथ वजन करते हैं

अलगाव के तरीके का निर्धारण इस तरह से किया जाना चाहिए अंतर्निहित उद्देश्य को प्राप्त करें।

इन निर्णयों के माध्यम से विकसित कानून का सारांश दिया गया था

गोवा फाउंडेशन बनाम में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से। सेसा स्टरलाइट 2018) 4 एस. सी. सी. 218, निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों को स्वीकार करने के बाद वीः

" 80.1 . यह संवैधानिक या अन्यथा अनिवार्य नहीं है कि

प्राकृतिक संसाधन (स्पेक्ट्रम के अलावा) का निपटान किया जाना चाहिए या केवल नीलामी के माध्यम से या इसके माध्यम से अलग या आवंटित किया गया

प्रतिस्पर्धी बोली; 80.2 . जहाँ वितरण, आवंटन, अलगाव या निपटान

एक प्राकृतिक संसाधन एक निजी पक्ष के लिए एक वाणिज्यिक खोज के लिए है।

इस तरह के आवंटन का; 80.3 . प्राकृतिक संसाधन की नीलामी नहीं करने का निर्णय उत्तरदायी है -

संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत; 80.4 . प्राकृतिक संसाधन की नीलामी नहीं करने का निर्णय और

निर्णय, अन्य बातों के साथ, सामाजिक भलाई या जनता के लिए लिया जाता है। अच्छा या आम अच्छा;

80.5 . जब तक कि किसी प्राकृतिक संसाधन का अलगाव या निपटान न हो

आम भलाई या सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य के लिए है, यह

निजी के पक्ष में विघटित नहीं किया जा सकता है

उद्यमी वस्तुतः निःशुल्क या किसी विचार के लिए नहीं अनुच्छेद 14 को आकर्षित किए बिना इसके मूल्य के अनुरूप और

संविधान का अनुच्छेद 39 (बी)।

(जोर दिया गया)

8] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उपरोक्त निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांतों को निकाला जा सकता हैः

(i) आम तौर पर, जब कोई भूमि राज्य द्वारा हस्तांतरित करने का इरादा है, या कोई राज्य अनुदान प्रदान किया जाना है, तो रिसॉर्ट को सार्वजनिक नीलामी या हस्तांतरण के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

लोगों से निविदाएँ। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे आवंटित संसाधन के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले। हालांकि, निविदा जारी न करना या सार्वजनिक नीलामी न करना सभी मामलों में मनमाना नहीं माना जाएगा।

कार्यकारी शक्ति का प्रयोग। कार्यपालिका का अंतिम निर्णय निष्पक्ष निर्णय लेने का परिणाम होना चाहिए।

प्रक्रिया।

((ii) आबंटन अनुच्छेद 39 (ख) के अनुसार सामान्य भलाई के विचार द्वारा निर्देशित होना चाहिए, और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें आवश्यक रूप से नीलामी शामिल नहीं है।

संसाधन; हालाँकि, केवल निजी लाभ के लिए वाणिज्यिक शोषण के लिए निजी व्यक्तियों को प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन, बिना किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य के, उच्च न्यायिक जांच को आकर्षित करता है और इसे अनुच्छेद का उल्लंघन माना जा सकता है।

14 यदि गैर-प्रतिस्पर्धी और गैर-राजस्व को अधिकतम करके किया जाता है

मतलब।

इसके द्वारा तैयार किए गए उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए

अदालत ने उपरोक्त निर्णयों में, हमने रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री पर विचार किया है। यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या अकादमी के पक्ष में किया गया आवंटन उपरोक्त सिद्धांतों के खिलाफ था। तत्काल मामले में, आवंटन स्पष्ट रूप से एक निजी शैक्षणिक संस्थान को गैर-राजस्व अधिकतम साधनों द्वारा किया गया है। यह मानते हुए कि अकादमी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की अपनी मुख्य गतिविधि में संलग्न रहते हुए व्यावसायिक गतिविधियों में लगी हुई है, दो प्रश्न देखे जाने बाकी हैंः पहला, क्या कोई सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य अंतर्निहित था

आबंटन, अर्थात, यदि सार्वजनिक भलाई को आगे बढ़ाना आबंटन का अंतिम लक्ष्य था ताकि भूमि की नीलामी न किए जाने को उचित ठहराया जा सके, और दूसरा, यदि आबंटन पर्याप्त मुआवजे की कमी के कारण खराब है।

7. जहाँ तक आबंटन के अंतर्निहित उद्देश्य का संबंध है, हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ नहीं थी

अकादमी के इस कथन को अस्वीकार करना उचित था कि भूमि का आवंटन स्कूल के छात्रों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। डिवीजन बेंच द्वारा इस जे. एस. लूथरा अकादमी बनाम को अस्वीकार करने के लिए दिए गए कारणों में से एक।

जम्मू और कश्मीर राज्य [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.]

तर्क यह था कि अपीलार्थी-अकादमी और विश्वविद्यालय के बीच पत्राचार में छात्रों की दुर्दशा के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी।

सरकार। हालाँकि, उस प्रभाव के लिए केवल स्पष्ट बयानों की कमी का मतलब यह नहीं है कि कार्रवाई कल्याणकारी विचारों से प्रेरित नहीं थी, जैसे कि कई सैकड़ों लोगों का विस्थापन और उखाड़ फेंकना।

अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन और राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश में उनके विद्यालय के छात्र स्पष्ट रूप से अंतर्निहित चिंता थे। इस स्तर पर श्रीलेखा विद्यारथी बनाम राज्य के मामले में इस अदालत द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणी को उद्धृत करना उचित होगा।

उत्तर प्रदेश, (1991) 1 एस. सी. सी. 212:

" 36. मनमानेपन का अर्थ और वास्तविक महत्व अधिक आसानी से होता है।

सटीक रूप से बताए गए या परिभाषित की तुलना में कल्पना की गई। सवाल यह है कि क्या

एक विवादित कार्य मनमाना है या नहीं, अंततः इसका जवाब दिया जाना है तथ्यों और किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों पर। एक स्पष्ट

आवेदन करने के लिए परीक्षण यह देखने के लिए है कि क्या कोई स्पष्ट सिद्धांत है

आक्षेपित कार्य से उभरना और यदि ऐसा है, तो क्या यह परीक्षण को संतुष्ट करता है तर्कसंगतता। जहाँ एक कार्य करने के लिए एक विधि निर्धारित की जाती है

और उस प्रक्रिया का पालन करने में कोई बाधा नहीं है, अधिनियम का प्रदर्शन अन्यथा और इस तरह से जो करता है

किसी भी स्पष्ट सिद्धांत का खुलासा न करें जो उचित हो,

स्वयं मनमानेपन की बुराई को आकर्षित करता है।

(जोर दिया गया)

उपरोक्त के परिणाम के रूप में, यह स्पष्ट है कि एक कार्यकारी कार्रवाई

केवल इसलिए मनमाना नहीं होगा कि कार्रवाई स्पष्ट रूप से किसी विशेष कारण से या किसी विशेष सिद्धांत के आधार पर नहीं की गई है जो अपने आप में उचित है; बल्कि, न्यायालय के लिए यह देखने के लिए खुला होगा कि क्या ऐसा उचित सिद्धांत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से स्पष्ट है। जैसे अदालत के पास शक्ति है एक कार्यकारी कार्रवाई के अंतर्निहित उद्देश्य को यह निर्धारित करने के लिए देखना कि क्या यह मनमानेपन के लिए जांच करते समय बाहरी कारणों से प्रेरित है, इसलिए न्यायालय यह भी निर्धारित कर सकता है कि कार्रवाई के निष्पादन के माध्यम से कोई सामान्य उद्देश्य पूरा किया जा रहा है या नहीं, आसपास के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करके जिसमें कार्यकारी कार्रवाई की गई थी। हालाँकि अपीलकर्ता एक निजी शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि सरकार की कार्रवाई केवल एक कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित नहीं थी क्योंकि अकादमी और राज्य सरकार के बीच पत्राचार में इतने शब्दों में यह नहीं

कहा गया है कि आवंटन के लिए मांगी गई वैकल्पिक भूमि [2018] 10 एस. सी. आर. के हितों की रक्षा के लिए थी।

स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। यह कहा गया है कि अपीलार्थी को वक्फ भूमि से किसी जानबूझकर चूक या अनधिकृत उपयोग के कारण नहीं, बल्कि इसलिए बेदखल किया गया था क्योंकि वक्फ को अपने उपयोग के लिए भूमि की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में, कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण, अपीलार्थी ने उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए सरकार से संपर्क किया

स्कूल चलाने के लिए। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ने छात्रों की शिक्षा और इलाके में शांति को बाधित किए बिना वक्फ संपत्ति से स्कूल को जल्द से जल्द खाली कराने के मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करना पसंद किया।

8. भारत के संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में प्रावधान है कि राज्य को राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए -

उनके सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। इन अधिकारों में आजीविका, स्वास्थ्य और समाज के सभी वर्गों के लोगों के सामान्य कल्याण के साधन शामिल हो सकते हैं, जिसमें शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। 9. बुनियादी शिक्षा प्रदान करना राज्य के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को चलाने वाली समितियों पर एक संवैधानिक दायित्व है। बच्चे हैं।

हमारे राष्ट्र का भविष्य। शिक्षा व्यक्तियों के लिए आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन जीने का एक बुनियादी साधन है और सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। द.

भारत का संविधान शिक्षा के क्षेत्र पर काफी ध्यान देता है। यह शिक्षा की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है और न केवल शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की आवश्यकता को स्वीकार करता है, बल्कि निजी समितियों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। (देखिए: सचिव,

सैकड़ों बच्चों की शिक्षा में रुचि के साथ-साथ मामले की तात्कालिकता पर विचार करते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई नहीं की गई थी किसी सामाजिक या कल्याणकारी उद्देश्य से समर्थित। यह इस बात पर जोर देने योग्य है कि अनुच्छेद 14 का परीक्षण औपचारिक समानता के बजाय मूल के दृष्टिकोण से लागू किया जाना चाहिए, और जिस कार्रवाई या नियम का परीक्षण किया जा रहा है, उसके प्रभाव के प्रति सचेत होना चाहिए। जबकि सामान्य परिस्थितियों में, विज्ञापनों या नीलामी के आधार पर स्थलों के आवंटन की सामान्य प्रथा का पालन किया जा रहा था, तत्काल स्थिति जे. एस. लूथरा अकादमी बनाम के भविष्य को पूर्वाग्रहित करने से रोकने के लिए मानक प्रक्रिया से विचलन की गारंटी देती है।

जम्मू और कश्मीर राज्य [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] अकादमी में पढ़ने वाले बच्चे। हमारे विचार में, मामले को समग्र रूप से देखते हुए, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई मनमानेपन से प्रभावित नहीं थी क्योंकि यह एक कल्याणकारी उद्देश्य द्वारा समर्थित थी।

10. इसके अलावा, हमें विवाद को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है

राज्य सरकार ने कहा कि अपीलार्थी को 4 कनाल भूमि का आवंटन एक विनिमय की प्रकृति का था, क्योंकि राज्य सरकार अपीलार्थी को बेदखल करना चाहती थी जो मुख्य शहर क्षेत्र में स्थित वक्फ भूमि पर एक स्कूल चला रहा था। ऐसा लगता है कि इस तरह का निर्णय राज्य सरकार ने इलाके या शहर में किसी भी अशांति से बचने के लिए लिया है। ऐसी परिस्थितियों में, हम 4 कनाल संपत्ति आवंटित करने में राज्य द्वारा लिए गए निर्णय में कोई मनमानी नहीं पाते हैं। दूसरी ओर, हमारी राय है कि राज्य की कार्रवाई निष्पक्ष, उचित, पारदर्शी, निष्पक्ष, पक्षपात और भाई-भतीजावाद के बिना थी।

11. अब हम पर्याप्तता के संबंध में दूसरे प्रश्न की ओर मुड़ते हैं।

राज्य द्वारा वसूल किए गए मुआवजे का। इस संबंध में, हम जे. खेहर द्वारा प्राकृतिक संसाधन आवंटन में अपनी सहमति में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान देते हैं।

" 200. इसलिए, मैं यह कहते हुए निष्कर्ष निकालूंगा कि इसका कोई हिस्सा नहीं है

विचार करें। विचार की प्रकृति में हो सकता है राजस्व अर्जित करना या हो सकता है "आम का सबसे अच्छा उपयोग करना"

अच्छा "। यह दोनों का मिश्रण हो सकता है। वहाँ नहीं हो सकता। भौतिक संसाधनों का निः शुल्क या एक पर अपव्यय होना

उनके वास्तविक मूल्य से कम पर विचार करें। नागरिकों का एक समूह

नागरिकों के एक अन्य समूह की कीमत पर समृद्ध नहीं हो सकता, उसके लिए

यह उचित या उचित नहीं होगा।

(जोर दिया गया)

इस प्रकार, विवादित लेन-देन की यह निर्धारित करने के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या यह राज्य द्वारा प्राप्त किए जा रहे पर्याप्त विचार की ओर ले जाता है।

12. हमारे विचार में, अधिकारियों की कार्रवाई पर हमला किया जा सकता है

इस हद तक कि मुफ्त में दो कनालों का आवंटन कानूनी रूप से खराब था। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल केवल दो कनाल के संबंध में था और शेष दो कनाल भूमि के लिए आवंटित की गई थी।

अपीलार्थी के लिए मुफ़्त। यह विवाद में नहीं है कि रु। 8,00,000 / - प्रति कनाल [2018] 10 एस. सी. आर.

औसत नीलामी बिक्री मूल्य था जो उस समय के आसपास प्राप्त किया गया था

आबंटन की। इस आंकड़े को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने आवंटन मूल्य रुपये निर्धारित किया। 8,00,000 / - कनाल के अनुसार। यह स्पष्ट है कि रुपये की कीमत तय करने में कोई मनमानी नहीं थी। 8,00,000 / - कनाल के अनुसार। हालाँकि, हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि मुफ्त में 2 कनाल भूमि का आवंटन उचित था। यह रिकॉर्ड पर किसी भी सामग्री के अभाव के आलोक में और भी महत्वपूर्ण है जो यह दर्शाता है कि स्कूल विशुद्ध रूप से धर्मार्थ और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए चलाया जा रहा था। इस संबंध में भारत संघ के मामले में इस माननीय न्यायालय की टिप्पणियों और एक अन्य v का उल्लेख करना उचित होगा। जैन सभा, नई दिल्ली और एक अन्य, (1997) 1 एस. सी. सी. 164 जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" 11. इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह देखना उचित समझते हैं कि यह सही समय है जब सरकार स्कूलों और अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को भूमि के आवंटन से संबंधित पूरी नीति की समीक्षा करे। संस्थाएं। जहां ऐसी संस्थाओं को सार्वजनिक संपत्ति व्यावहारिक रूप से मुफ्त दी जा रही है, वहां भूमि के उपयोगकर्ता के संबंध में और जिस तरीके से स्कूल या अन्य संस्थान उस पर स्थापित किए गए हैं, उसके संबंध में सख्त शर्तें संलग्न की जानी चाहिए।

कार्य. लगाई गई शर्तें जनहित के अनुरूप होनी चाहिए और हमेशा यह निर्धारित करना चाहिए कि उनमें से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, सरकार द्वारा भूमि को फिर से शुरू किया जाएगा। न केवल ऐसी शर्तों को निर्धारित किया जाना चाहिए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की जानी चाहिए कि उन शर्तों का व्यवहार में पालन किया जा रहा है। जबकि हम प्रतिवादी द्वारा संचालित विशेष विद्यालय के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, यह आम बात है। यह जानते हुए कि कुछ स्कूल पूरी तरह से वाणिज्यिक आधार पर चलाए जा रहे हैं। भारी मात्रा में शुल्क लिया जा रहा है

दान और शुल्क। सवाल यह है कि क्या ऐसी संस्थाओं को कम कीमत पर भूमि आवंटित करने का कोई औचित्य है। लोगों की भूमि का आवंटन

व्यावहारिक रूप से कोई भी कीमत जनहित की सेवा के लिए नहीं है, यानी शिक्षा के प्रसार या अन्य धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए। इसका उद्देश्य आबंटियों को सार्वजनिक संपत्ति की सहायता से धन कमाने या लाभ कमाने में सक्षम बनाना नहीं है। हमें विश्वास है कि सरकार इन टिप्पणियों के आलोक में इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएगी

इसमें निहित है "।

उपरोक्त टिप्पणियों से पता चलता है कि सार्वजनिक हित की सेवा करने वाले गैर-लाभकारी शैक्षणिक संस्थान के मामले में, सार्वजनिक जे. एस. लूथरा अकादमी v.

जम्मू और कश्मीर राज्य [मोहन एम. शांतनगौदर, जे.] भूमि के उपयोग के लिए सख्त शर्तें लागू करके उसे रियायती मूल्य पर या मुफ्त में संपत्ति आवंटित की जा सकती है, यह संदिग्ध है कि क्या लाभ-उन्मुख संस्थानों के लिए भी ऐसा किया जा सकता है।

13. इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, इस तारीख तक दो कनालों के लिए सरकारी खजाने को Rs.16,00,000/- तक का नुकसान हुआ है।

आबंटन। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता अकादमी कई वर्षों से आवंटित स्थल पर चल रही है, एक नए भवन के निर्माण के बाद, हस्तांतरणकर्ता को विचार में कमी को पूरा करने का अवसर देकर हस्तांतरण को बचाया जा सकता है। इस संदर्भ में, इसके द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देना प्रासंगिक है।

आईटीसी लिमिटेड बनाम के मामले में न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य (2011) 7 एस. सी. सी. 493:

" 107.1 यदि हस्तांतरणकर्ता ने ईमानदारी से काम किया था और निर्दोष था, तो स्थानांतरण को बचाना संभव हो सकता है, लेकिन यह फिर से आगे के सवाल के जवाब पर निर्भर करेगा कि क्या यह सार्वजनिक है।

ब्याज को नुकसान हुआ है या इसके परिणामस्वरूप नुकसान होगा

नियमों का उल्लंघनः

(i) यदि उल्लंघन के कारण न तो जनहित को नुकसान हुआ है और न ही नुकसान होने की संभावना है, तो स्थानांतरण निम्नानुसार हो सकता हैः

खड़े होने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उल्लंघन केवल एक तकनीकी होगा।

प्रतिकूल प्रभावों के बिना प्रक्रियात्मक अनियमितता।

((ii) दूसरी ओर, यदि विनियमों के उल्लंघन से लोक हित पर चिरस्थायी प्रतिकूल प्रभाव या प्रभाव पड़ने की संभावना है (उदाहरण के लिए जब इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण का क्षरण होता है या जिसके परिणामस्वरूप कोई नुकसान होता है जो प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है), तो लोक हित प्रबल होना चाहिए और हस्तांतरण को रद्द या रद्द किया जाना चाहिए। रद्द कर दिया गया।

(iii) लेकिन जहां उल्लंघन का परिणाम केवल प्रतिफल की एक छोटी वसूली है, हस्तांतरण को बचाया जा सकता है।

अंतरिती को कमी को पूरा करने का अवसर देकर

विचार में।

107.2 उपरोक्त अभ्यास बोझिल लग सकता है, लेकिन अनुबंधों और हस्तांतरणों की पवित्रता की रक्षा के लिए बिल्कुल आवश्यक है। यदि सरकार या उसके साधनों को विधिवत रूप से संपन्न गंभीर स्थानान्तरणों से बार-बार पीछे हटते हुए देखा जाता है, तो सरकार के कामकाज में जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास हिल जाएगा।

हमेशा संपन्न लेन-देन को सहेजने के लिए किया जाना चाहिए / जहां भी संभव हो स्थानांतरण, बशर्ते कि (i) यह पूर्वाग्रह नहीं करेगा

लोक हित, या सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाना या

सार्वजनिक शरारत, और (ii) कि हस्तांतरणकर्ता निर्दोष है और था

विनियमन के उल्लंघन में कोई भूमिका नहीं है।

107.3 यदि निष्कर्षित हस्तांतरण को सहेजा नहीं जा सकता है और होना है

उसके द्वारा किए गए सभी भुगतानों और सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति की। उचित ब्याज के साथ हस्तांतरण के संबंध में उसके द्वारा किया गया व्यय।

यदि इक्विटी के आधार पर कोई अन्य राहत दी जा सकती है

लोक हित और सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाना, इस तरह का अनुदान

न्यायसंगत राहत पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच पर

उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को इस कमी को पूरा करने का अवसर देना उचित है।

यह नहीं कहा जा सकता है कि मुफ्त आवंटन के कारण सरकारी खजाने को हुए नुकसान का स्थायी प्रभाव या प्रभाव पड़ा है।

जनहित। इसके अलावा, हम अपीलार्थी की ओर से उसके पक्ष में आवंटन की मांग करने में कोई कोताही नहीं पाते हैं, क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया था। यह निर्णय की शुरुआत में हमारे द्वारा बताए गए सिद्धांत के अनुरूप भी होगा कि जनता को प्राकृतिक संसाधनों के अलगाव के लिए पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए।

राज्य।

15. इसलिए, अपीलार्थी को दो के लिए विचार करना चाहिए।

कनाल भूमि रुपये की दर से निःशुल्क प्राप्त की गई। 8,00,000 / - प्रति कनाल, जो आवंटन के समय प्रचलित औसत नीलामी मूल्य था। अपीलार्थी आवंटन की तारीख से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत

प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी है। भुगतान इस तिथि से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

16. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति है, आक्षेपित

डिवीजन बेंच द्वारा दिनांकित 01.04.2009 द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है

और 2002 के ओ. डब्ल्यू. पी. सं. 1093 और 2003 के ओ. डब्ल्यू. पी. सं. 10 में पारित दिनांक 25.04.2008 के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय को उपरोक्त संशोधन के साथ बहाल किया जाता है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी